

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

आदेश संख्या-भवन/बजट-18-अनुरक्षण/मरम्मत-01/2024-25.....284

पटना, दिनांक-21/8/26

आदेश

महामहिम राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों के आगमन/परिभ्रमण के दौरान हैलीपैड, हैलीपैड के आस-पास बैरिकेडिंग, मंच एवं सेफ हाउस इत्यादि कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा जिला प्रशासन के निदेशानुसार कराया जाता है। उल्लेखनीय है कि गैर न्यायिक (आवासीय एवं गैर आवासीय) भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन ही उक्त कार्य कराया जाना है। सभी भवन प्रमंडलों को कुर्सी क्षेत्र के अनुसार एक निर्धारित राशि प्रतिवर्ष आवंटित की जाती है। कुर्सी क्षेत्रफल प्रमंडलों के लिए राशि आवंटन का आधार मात्र है। इसका तात्पर्य यह समझना कि इस राशि का संपूर्ण व्यय सिर्फ अनुरक्षण-मरम्मत हेतु किया जाना है, सर्वथा गलत है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रमंडलों द्वारा उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाती है।

अतः निदेशित किया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रतिवर्ष कुर्सी क्षेत्रफल के अनुसार कर्णांकित राशि के अधीन 25 प्रतिशत राशि अतिविशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्तियों के आगमन/परिभ्रमण के दौरान कराए जाने वाले कार्यों के लिए सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय वर्ष के अंत तक सुरक्षित राशि का व्यय नहीं होने की संभावना की स्थिति में आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों पर उक्त राशि का व्यय किया जा सकता है।

ह0/-

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 7910 (A)

पटना, दिनांक- 21/8/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग, सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

21/8/26